श्रीमती किरणमयी नायक
अध्यक्ष
छ.ग. राज्य महिला आयोग
(केबिनेट मंत्री दर्जा छ.ग. शासन)

अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 426
दिनांक 8/7/2026
कार्यालय - छ.ग. राज्य महिला आयोग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के बाजू
शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग) पिन. 492001
व्हाट्सएप्प नं. 9098382225
Email : cgmahilaayog@gmail.com, chairperson.cgswc@gmail.com
Website : http://mahilaaayogcggov.co.in/

प्रति,

कलेक्टर महो.
शिकायत शाखा,
जिला— सारंगढ़—बिलाईगढ़ (छ.ग.)

विषय :— मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर लगाये गये आरोप निराधार के संबंध में।

महोदय,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुशील चौधरी पर सफाई कर्मचारियों द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद एवं निराधार है आपके पत्रांक संख्या 339/अ0वि0अ0/वा—2/2025 दिनांक 15/04/2025 से स्पष्ट होता है जांच कमेटी के द्वारा सारे आरोपों को निराधार बताया गया है। छ.ग. राज्य महिला आयोग की सुनवाई में लगाये गये आरोप सफाई कर्मचारियों के द्वारा निराधार एवं बेबुनियाद है, सफाई कर्मचारियों द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति, संस्था से प्रेरित होकर बार—बार शिकायत करते है जो की निराधार है।

संलग्न :— सुनवाई प्रतिलिपि

छ.ग. राज्य महिला आयोग
रायपुर (छ.ग.)
6/7/26

Kiran Nayak

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, रायपुर

नस्ती क्र. 20 पृ.क. शाखा/प्रभारी

विषय :-

06/07/2026

अनावेदक सुशील चौधरी (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) नगर पंचायत बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) दिनांक 06/07/2026 को शाम 4.35 बजे उप० हुआ उसने बताया कि उसके ऊपर लगाये गये संपूर्ण आरोप गलत है आवेदिका से पूछने पर पता चला कि ये सभी महिलायें मिशन क्लीन सिटी (डोर टू डोर कचरा कलेक्शन) का कार्य करती है अनावेदक ने बताया कि मेरा काम शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना मेरा प्रमुख लक्ष्य होता है जब कभी शहर के साफ सफाई नहीं की जाती तब मैं सभी की मीटिंग लेकर उचित आदेश निर्देश देता हूँ कई बार सफाई कर्मचारियों से डाँट कर एक बार से काम करवाना पड़ता है ये सभी लोग जान बूझकर किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आकर मेरी शिकायत प्रत्येक फोरम में करती है जहां से मुझे

पृ.पृ.उ.

आवेदिका: गंगा [illegible]

लक्ष्मी रानी [illegible]

अनावेदक [illegible]

दि. [illegible]
कार्यालय राज्य महिला आयोग रायपुर (छ.ग.)
[illegible] 6/7/26

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, रायपुर

नस्ती क्र. पृ. क्र. शाखा/प्रभारी

विषय :-

मिलान जाँच प्राप्त हो चुकी है आवे०
की जाँच कलेक्टर बिलाईगढ़ द्वारा की गई
थी जिसके जाँच के उपरांत लगाई गई
संपूर्ण शिकायत निराधार एवं झूठी पायी गई
कलेक्टर का पत्रांक संख्या 339/अ.वि.आ/वा-2/2025
है इससे प्रतीत होता है लगाये गये सारे आरोप निराधार
एवं झूठे है अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

Kiran Jayepal

मान. अध्यक्ष महो. जी

कार्यालय
छ.ग. राज्य महिला आयोग
रायपुर (छ.ग.)
6/1/26

कृ.पृ.उ. ...

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, रायपुर

नस्ती क्र. 20 **पृ.क्र.** **शाखा/प्रभारी**

विषय :- प्रकरण क्रमांक..........जिला– सारंगढ़ बिलाईगढ़ आवेदिकागण 01. रामकुमार सारथी, 02. रानी सारथी, 03. संतोषी सारथी व अन्य के द्वारा अनावेदक सुशील चौधरी के विरूध्द कार्यस्थल पर प्रताड़ित किये जाने बाबत्।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम एवं पता – 01. रामकुमार सारथी, 02. रानी सारथी मो.नं. 7999537693, 03. संतोषी सारथी, 04. लक्ष्मी सारथी, 05. सरोजनी सारथी मो.नं. 6266037698, 06. कौशिल्या मराठा, 07. रेखा सारथी मो.नं. 9589234134, 08. नर्मदा सारथी, 09. लक्ष्मी बाई मानिकपुरी, 10. मीना सारथी, 11. सेवंती सारथी, 12. गंगा सारथी पता– वार्ड क्रं. 07, पुराना मंगल बाजार बिलाईगढ़, तह. व थाना बिलाईगढ़, जिला– सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) पिन कोड़ 793338
2. 2. अनावेदक/अनावेदिका का नाम एवं पता– सुशील चौधरी (मु. न. पा. अधि.) नगर पंचायत बिलाईगढ़, थाना व तहसील बिलाईगढ़ जिला– सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) मो.नं. 9669331133
3. 3. आवेदन दिनांक एवं आवाक क. **1534 दिनांक 30/07/2025**
4. राज्य महिला आयोग (प्रकिया) विनियम 1998 का नियम 8 (1) के प्रावधानानुसार शिकायत/परिवाद ग्राह्य योग्य है। क्योंकि:–
   - ➢ प्रकरण न्यायालय में विचारधीन नहीं है।
   - ➢ घटना, परिवाद प्रस्तुत करने के 1 वर्ष पूर्व घटित नहीं हुई है।
   - ➢ तुच्छ स्वरूप का नहीं है।
   - ➢ छद्म नाम के अस्पष्ट, बिना नाम के नहीं है।
   - ➢ राज्य महिला आयोग के कार्यक्षेत्र का है।
5. परिवाद/ शिकायत का वर्गीकरण– **कार्यस्थल पर प्रताड़ना।**
6. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण – मामला अनावेदक द्वारा आवेदिकागण को आये दिन शराब के नशे में नीच, सुवर, गोबर बोले जाने, रात में मीटिंग है कहकर अपने घर में बुलाकर अश्लील हरकत करने व गंदे–गंदे बाते करने, अंडर वेयर और ईनर पहनकर मीटिंग करने एवं कार्य से पृथक कर प्रताड़ित करने व इसकी शिकायत थाने में करने पर कोई कार्यवाही नही होने से संबंधित शिकायत की है। नस्ती अवलोकनार्थ व अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

हि. शुल्क प्रति

01/08/25

सचिव महो./सहायक संचालक

कार्यालय
छ.ग. राज्य महिला आयोग
रायपुर (छ.ग.)
6/7/26

A अनुसार नस्ती अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत।

1.8.2025

माननीय अध्यक्ष महो.

क्र.पृ.उ. ...

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, रायपुर

नस्ती क्र. 20 पृ. क्र. शाखा/प्रभारी

विषय :-

10/03/26 उभय पक्ष उपस्थित

आवेदिकागण नगर पंचायत बिलाईगढ़ में स्वच्छता दीदी का कार्य समूह के माध्यम से कर रही थी। जिसे अनावेदक गण 3 मार्च 2025 को गाली-गलौच कर काम से निकाल दिया गया न तो कोई नोटिस दिया न ही कोई जाँच कार्यवाही किया।

आज आयोग के समक्ष अना० ने दस्तावेज प्रस्तुत किया कि 24-03-25 को आवेदिकागण का सेवा समाप्त कर दिया गया है।

इस मामले आवेदिकागण गरीब व शिक्षित प्रतीत हो रही है व अनावेदक कानून का जानकार प्रतीत हो रहा है इसलिए कलेक्टर सारंगढ़ को पत्र प्रेषित किया जाएगा कि एक माह के अंदर इस अनावेदक के खिलाफ आवेदिका की शिकायत जाँच कर एक माह में जाँच प्रेषित करें।

मा० सदस्य मा० अध्यक्ष द.प्र.स.....

नि: शुल्क प्रति

कार्यालय छ.ग. राज्य महिला आयोग रायपुर

प्राप्त की सोच ली

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, रायपुर

नस्ती क्र. 20 पृ.क्र. शाखा/प्रभारी

विषय :-

6/7/26

आवे० गण उप० | अना० सूचना उपरांत भी अनु० | आवे० गण द्वारा अना० के खिलाफ कार्यस्थल में लैंगिक उत्पीड़न की गंभीर शिकायत की है ऐसी दशा में अना० के खिलाफ I.C.C. कमेटी के जांच होने तक अना० को निलंबित किए जाने की अनुशंसा की जाती है। कले० सारंगढ़ को अना० के खिलाफ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न हेतु जांच के लिए 2 माह का समय दिया जाता है व जांच पूर्ण होने तक अना० को निलंबित करने को कहा गया। आवे० गण को आज के आर्डरशीट की निःशुल्क प्रति दी जाती है जिसे लेजाकर कले० के पास जाकर जांच हेतु दी जाएगी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

रामकुंवर

रानी

लक्ष्मी

सरोजनी

गंगा

सेवन्ती

निःशुल्क प्रति

कार्यालय
राज्य महिला आयोग
रायपुर (छ.ग.)
6/7/26

Kiran

मान. अध्यक्षा महोदया

सचिव/सदस्य

स.प.स. ....

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलाईगढ़, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)

(14)

//प्रतिवेदन//

क्रमांक/339/अ0वि0अ0/वा–2/2025 बिलाईगढ़, दिनांक 15/04/ 2025

प्रति

कलेक्टर
(शिकायत शाखा)
जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)

विषय :– मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार एवं गाली–गलौच करने बाबत्।

संदर्भः– टी.एल. कमांक 1728।

––00––

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदकगण अध्यक्ष/सचिव प्रेरणा स्वच्छता क्षेत्रीय स्तर संगठन नगर पंचायत बिलाईगढ़ द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार एवं गाली–गलौच करने बाबत् आवेदन–पत्र टी.एल. कमांक 1728 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में पूर्व में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बिलाईगढ़ को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जिनके परिपालन में उनके द्वारा दिनांक 24.03.2025 को जवाब प्रस्तुत किया गया। समूह लगातार अनुपस्थित रहे एवं 03.03.2025 से कार्य पर आना पूर्णतः बंद कर दिये। मेरे द्वारा समूह को कार्य से पृथक किये जाने एवं इच्छुक स्व. सहायता समूह या व्यक्तिगत रूप से मिशन क्लीन सिटी के कार्य को करने के लिए आवेदन दिनांक 05.03.2025 को नगर में मुनादी के माध्यम से किया गया। इच्छुक स्व. सहायता समूह जय मां समलाई को उक्त कार्य के लिए अनुबंधित करते हुए कार्य प्रारंभ किया गया। उपरोक्त शिकायत उनके कार्य से पृथक होने के 07 दिवस के बाद का है, जो कि पूर्णतः गलत, अधिकारी के छवि को खराब करने के उददेश्यक से एवं गलत ढंग से दबाव बनाकर निष्कासित किये गये कार्यो को पुनः पाने का असफल और विवेकहीन प्रयास है, का लेख किया गया है।

शुभम नायक, जिला समन्वयक नगर पंचायत भटगांव/बिलाईगढ़ एवं बहादुर कहार, सफाई दरोगा से भी उक्त शिकायत के संबंध में जवाब लिया गया। शुभम नायक, जिला समन्वयक नगर पंचायत भटगांव/बिलाईगढ़ द्वारा अपने जवाब में अनुबंध अनुसार समूह द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं किये जाने पर समूह एवं संगठन द्वारा अनुबंध समाप्त कर नये

बंध कराने के निर्देश हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बिलाईगढ़ एवं सफाई प्रभारी के बार–बार निर्देश देने के बावजूद समूह द्वारा नियम निर्देश का उल्लंघन किया जा रहा था तथा समूह द्वारा उक्त कार्य से अपेक्षा तथा प्रस्तावित स्वच्छता सर्वेक्षण के 04 दिवस पूर्व से उनके स्वयं के बिना किसी सूचना के काम को पूर्णतः बंद करने की जानकारी प्राप्त हुई। तत्पश्चात् कार्य में नहीं आने के कारण अतिआवश्यकता को देखते हुए सीएमओ द्वारा नोटिस चस्पा कर पूरे नगर में मुनादी कराते हुए नये समूह को मिशन क्लीन सिटी के कार्य के लिए मौका दिया गया, कथन किया गया है।

बहादुर कहार, सफाई दरोगा नगर पंचायत बिलाईगढ़ द्वारा अपने जवाब में समूह द्वारा निर्धारित कार्यों में लगातार अव्यवस्था एवं अनुपस्थिति रहती थी। स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान जब भारत सरकार की टीम नगर पंचायत बिलाईगढ़ का निरीक्षण करने आई तो समूह ने बिना किसी सूचना के अपना काम बंद कर दिया तथा साफ तौर पर कार्य में न जाने का निर्णय लिया और मुझे यह बताया गया कि काम नहीं करेंगे। इस स्थिति को देखते हुए सीएमओ द्वारा नोटिस चस्पा कर पूरे नगर में मुनादी कराते हुए नये समूह को मिशन क्लीन सिटी के कार्य के लिए मौका दिया गया, कथन किया गया है।

उपरोक्तानुसार उक्त शिकायत निराधार है। अतः टी.एल. क्रमांक 1728 विलोपन किये जाने हेतु प्रतिवेदन आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बिलाईगढ़

लाख्य

प्रति,

1534
आवक/जावक सचिव/छ.ग.म.आ./क........
दिनांक 30/07/25

रायपुर

कृपया रायपुर में सुनवाई करने की कृपा करें।

माननीया अध्यक्ष महोदया
छ०ग० राज्य महिला आयोग
रायपुर (छ०ग०)

विषय :- न० पं० बिलाईगढ़ C.M.O. श्री सुशील चौधरी के द्वारा जाति सूचक अभद्र व्यवहार एवं गाली गलौच, एवं छेड़खानी करते हुए कार्य से पृथक कर दिये जाने बाबत्।

महोदया,

सादर निवेदन है कि हम स्वच्छता प्रेरण संगठन के माध्यम से मिशन क्लिन सीटी (डोर टू डोर कचरा कलेक्शन) का कार्य पिछले 8-9 साल से कार्यालय नगर पंचायत बिलाईगढ़ में करते आ रहे थे।

सारंगढ़ बिलाईगढ़

यहकि मु० न० पालिका अधिकारी श्री सुशील चौधरी के द्वारा निम्नलिखित अभद्र व्यवहार करते हुए कार्य से पृथक कर दिया है।

(1) आये दिन शराब के नशे मे धुत होकर हमें नींच, सुवर, गोबर कहते थे।

(2) स्वच्छता दीदीयों का मिटींग है करके अपने निवास में रात को बुलाकर अश्लील हरकत करते हुए गंदा गंदा बात करते थे।

(3) मैं जो बोलुंगा वो तुम लोगों को करना पड़ेगा नहीं करोगे तो लात मार के भगा दुंगा।

(4) मैं चुनाव में जिसको वोट करने को बोलुँगा उसको वोट देना अभी तुम लोगों के मुहल्ला से देवांगन महिला चुनाव में खड़ी है उसको वोट देना है अगर वो हार गई तो तुम लोग को काम से बाहर कर दुंगा।

(5) उनके द्वारा अपने निवास को कार्यालय बना लिया और ~~[illegible]~~ अंडर वियर, ईनर पहन के हम लोगों से मिटिंग करता है।

(6) बोलता है तुम किसी नेता के पास जाओ या मंत्री के पास मेरे सिवाय तुम लोग को कोई बचा नी सकता।

(7) उनके द्वारा हमारी पर्सनल पार्ट के तरफ ईसारा करके बात करता है और कभी रात तो कभी दिन में आकर मिलना बोलता है।

(8) हम लोग बाथरूम जाते है तो झांकने चला जाता है।

(9) तुम लोग नीच जाती के हो कहकर बार बार व अपमानित करता है। घसनीन बोलता है।

(10) जब भी और जीतना भी टाईम बुलाऊँगा तुम लोग अपने डौका (पति) के साथ सोये रहोगे तब भी छोड़ के आना पड़ेगा बोलता है।

(11) इनकी नियत गंदा है और लोगो के ऊपर रखता है।

हम सब स्वच्छता दीदी इनका मौखिक शिकायत S.D.M., तहसीलदार, थाना एवं SP व कलेक्टर के पास कर चुके है एवं कार्य पर पुनः रखने बाबत पत्राचार भी किये है किंतु कही पर भी हमारी को सुनवाई नहीं हो रही है।

C.M.O. श्री सुशील चौधरी नगर पंचायत बिलाईगढ़ का इच्छा अनुसार काम (गंदा) नही किये इसलिए हमारा अनुबंध खत्म हो गया है बोलकर कार्य से पृथक कर दिया है। हम सब गरीब परिवार से है नगर पंचायत के वेतन के भरोसे अपना व हर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। एवं लोन भी वेतन के भरोसे लिए है।

P.T.O.

यहाँ तक की उनके द्वारा हमारा पंजीयन रद्द कर दिया है ताकि कहीं काम न मिले करके।

अतः महोदया जी से हम सब हाथ जोड़के निवेदन करते है कि हम सब स्वच्छता दीदीयों को पुनः कार्य पर वापस करने हेतु निर्देशित करने एवं हम पर अत्याचार करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें।

अनावेदक
सुशील चौधरी (मु० न०पा० अधि०)
नगर पंचायत बिलाईगढ़
जिला - सारंगढ़ - बिलाईगढ़
छ०ग० Pin - 493338
थाना व तह० - बिलाईगढ़
Mob - 9669331133

आवेदिका

(1) रामकुंवर सारथी	रामकुंवर
(2) रानी सारथी	रानी
(3) संतोषी सारथी	संतोषी सारथी
(4) लक्ष्मी सारथी	लक्ष्मी
(5) सरोजनी सारथी	सरोजनी
(6) कौशिल्या मराठा	कौशिल्या मराठा
(7) रेखा सारथी	
(8) नर्मदा वासुदेव	
(9) लक्ष्मी बाई मानिकपुरी	लक्ष्मीबाई
(10) मीना सारथी	मीना
(11) सेवंती सारथी	सेवन्ती
(12) गंगा सारथी	गंगा

पता - वार्ड क्र० - 07 पुराना मंगलबाजार
बिलाईगढ़ तह० व थाना बिलाईगढ़
जिला - सारंगढ़ - बिलाईगढ़ (छ०ग०)
Pin - 493338
सरोजनी सारथी — रानी सारथी
Mob - 6266037698, 7999537693
- 9589234134
रेखा सारथी